N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0237 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/10/2024 17:17 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 22/10/2024 **Date To (दिनांक तक):** 23/10/2024

Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 19:30 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 25/10/2024 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/10/2024 17:17:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** CBI FATHAK CIRCLE KE PASS, JAGATPURA,JAIPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SHAILENDRA KUMAR DHAKER URF SAILU DHAKER

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** DEENBANDHU

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2006 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LUHASA, WEIR, WEIR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LUHASA, WEIR, WEIR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BALVEER SINGH YADAV		पिता:RAMKISHAN YADAV	1. GANW BADIYAL KHURD,BASWA,BASWA,DAUSA,RAJASTHAN,INDIA
2	KESHAV SINGH		पिता:CHHKKEE LAL	1. MANSAGAR COLONY,SANGANER,SANGANER SADAR,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		50,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 50,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

प्रकरण के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि उच्चाधिकारियो के निर्देशानुसार दिनांक 22.10.2024 को समय 7.30 पीएम पर श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि "ब्यूरो मुख्यालय पर एक परिवादी आया हुआ है जो रिश्वत मांगने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करवाना चाहता है, आप उसके प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें"। चूंकि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो कार्यालय समय पूर्ण होने के कारण ब्यूरो मुख्यालय से करीब 22-23 कि0मी0 दूर स्थित निवास स्थान पर है, अतः गोपनीय कार्यवाही की आकस्मिकता को देखते हुए ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 को ब्यूरो मुख्यालय पर उपस्थित परिवादी से प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही करने तथा की गई कार्यवाही के हालात निरन्तर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने की मुनासिब हिदायत दी गई। तदुपरान्त दिनांक 23.10.2024 को मन् उप अधीक्षक के ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष में बुलाकर उपरोक्तानुसार पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व कराये गये रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही के बारे में बताकर परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ से परिचय करवाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र पर पृष्ठाकिंत कर अग्रीम कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। समय 8.50 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ व उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं श्री सुभाष चन्द्र कानि0 नं0 592 को साथ लेकर कार्यालय कक्ष में आया और परिवादी से नाम पता पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री शैलेश कुमार धाकड़ (शैलु धाकड़) पुत्र श्री दीनबन्धु उम्र 18 साल निवासी लुहासा तहसील बैर जिला भरतपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना बताया। श्री शैलेश कुमार धाकड़ द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक, एसीबी जयपुर विषयः-रिश्वत मांगने वाले के खिलाफ कार्यवाही बाबत महोदय, निवेदन है कि मैं शैलू धाकड़ S/o दीनबन्धू 18 साल निवासी लुहासा थना बैर जिला भरतपुर का रहने वाला हू आज से करीब 2 साल पहले मैंने मेरे भाई सोनू व मेरे पापा ने मिलकर लुनियावास में एक प्लॉट 33 लाख में बना में बना बनाया (मकान) दुर्गा विहार लिया था उक्त मकान हमारे को रामनिवास नाम के व्यक्ति ने दिलाया था उक्त मकान पर हमने करीब 15-16 लाख का लॉन कोटक महिन्द्रा बैंक से लिया था मकान के मुल कागज बैंक के पास है व फोटो कॉपि रामनिवास के पास मे है मकान लेने के बाद से ही हमारे पास उक्त कागजो कि कोई भी प्रतिलिपि नहीं है, रामनिवास पिछले करीब 1 साल से हमारे को उक्त मकान कि फोटो प्रति देने में आनाकानि कर रहा है, जिसके हमने खुब प्रयास कर लिए लेकिन रामनिवास उक्त कागज देने के हमारे से 1-1.5 लाख मांग रहा है। 14 तारीख को रामनिवास हमारे घर पर आया था जिससे हमने कागज मांगे तो उसने हमारे साथ गाली गलौच कि तो हमने मारपीट करी व उसने भी हमारे साथ मारपीट करी, रामनिवास ने 16-10-24 को खो-नागोरियान थाना में हमारे खिलाफ (रिपोर्ट देकर मुकदमा दर्ज करवा दिया कल दिनांक 21-10-2024 को मुझे व मेरे भाई को थाने वालो ने थाने में बिटा दिया शाम को ही 7-8 बजे रामनिवास के साथ एक व्यक्ति थाने में आया जिसने थाने के एक कमरे में बलवीर सिंह थानेदार के सामने मेरे को व मेरे भाई सोनू को थाने से छुडवाने कि एवज में 1 लाख रूपये मांगे तो मैंने इतने रूपये नहीं होने तथा 16000/- रू होने का कहा तो केशव ने बलवीर थानेदार के सामने ही मेरे से फोन-पे से हरिओम S/o रामनिवास के नंबर पर 16000 रू. ट्रांसफर करवाये तथा कहा कि बाकि के 84000/- रू 22.10.24 को लाने के लिए कहा तथा मेरे को उक्त रू 84000/- कि व्यवस्था करने के लिए थाने से करीब 9-10 बजे छोड दिया मेरे से थाने वाले बलवीर ASI दलाल कैशव से मिलकर हमारे खिलाफ दी गई रिपोर्ट से फ्री करवाने के लिए रू कि मांग कर रहा है। मैं उक्त लोगो को रू नहीं देना चाहता उचित कार्यवाही करें - रिपोर्ट लिखने वाला राहुल शर्मा S/o रामस्वरूप शर्मा निवासी बस्सी [redacted] एसडी शैलू धाकड़ प्राथी शैलू धाकड़ S/o दीनबन्धु, उम्र 18 साल निवासी, लुहासा तह. बैर भरतपुर

[redacted]" तत्पश्चात परिवादी ने दरियाफ्त पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मेरे जानकार श्री राहुल शर्मा द्वारा हस्तलिखित है। मेरी श्री बलवीर सिंह थानेदार व श्री केशव से पूर्व में कोई लेन-देन व रंजिश नही है, परिवादी ने बताया कि बलवीर सिंह जी थानेदार मेरे व मेरे भाई के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में सीधे रिश्वती राशि न मांग कर अपने विश्वस्त दलाल केशव के मार्फत रिश्वत राशि मांगते है, दिनांक 21.10.2024 को मुझे व मेरे भाई सोनू धाकड़ को थाने में बिठा रखा था तब रामनिवास जी के साथ आये केशव ने बलवीर जी थानेदार के सामने एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग की और दबाव डालकर उनके कहेनुसार मेरे से 16000/रूपये जरिये फोन-पे रामनिवस शर्मा के पुत्र हरिओम के खाते में डलवा लिये थे और मुझे शेष 84000/रूपये की व्यवस्था करने के लिये थाने से छोड दिया था और मेरे भाई सोनू धाकड़ को थाने में ही बिठा रखा है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से 16000/रूपये हरिओम के खाते में ट्रांसफर करवाने संबंधित स्टेटमेंट चाहा गया तो परिवादी ने कहा कि उक्त स्टेटमेंट पृथक से दे दूंगा। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस को श्री सुभाष चन्द्र कानि0 ने बंद किया हुआ विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिनांक 22.10.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बारे में अवगत कराया कि मेरे द्वारा जरिये फोन केशव सिंह से वार्ता की गई तो "केशव द्वारा फोन बंद करने सम्बंधित उलाहाना देने पर मेरे द्वारा पिच्यासी हजार रूपये की व्यवस्था नही होने व भाई के साथ बलवीर जी यादव द्वारा मारपीट करने के सम्बंध में पूछा तो केशव ने कहा कि आपको मेरे से मिलना चाहिए व मेरे होते हुए कोई मारपीट नही हो सकती कहकर आश्वस्त करता है, मेरे द्वारा केशव को 50 हजार की व्यवस्था होने की बताने पर केशव कहता है कि आप तो कल आईडी व जो भी व्यवस्था हो लेकर आ जाओ, फिर मैं कुछ करता हूं, फिर बाद में पुलिस वाले उठाने लग जायेगें तो मेरे हाथ में नही रहेगा और हमारा आज सुबह 10 बजे मिलने का तय हुआ है। उक्त वार्ता को विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में सरसरी तौर पर चलाकर सुना गया तो परिवादी के कथनों की ताईद हुई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त एवं रिश्वत मांग सत्यापन से संदिग्धो से पुनः रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाना उचित प्रतीत होता है। सत्यापन से जैसी सूरत होगी वैसी कार्यवाही की जावेगी। इसके पश्चात परिवादी द्वारा संदिग्ध से मिलने के स्थान के बारे में जरिये फोन पता किया गया तो संदिग्ध ने परिवादी को सांगानेरी पुलिया के नीचे वार्ता करने हेतु बुलाया है। अतः श्री सुभाष चन्द्र कानि. को परिवादी के साथ जाने की हिदायत कर परिवादी के निजी वाहन से रवाना किया गया। मन् टीएलओं द्वारा श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 नं0 99 को गोपनीय कार्यवाही हेतु पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान को तलब करने व ट्रेप बॉक्स तैयार करने की मुनासिब हिदायत दी गई तथा चौकी हाजा के स्टाफ को मुनासिब हिदायत दी गई। कुछ समय पश्चात पूर्व से पाबंदशुदा दो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित आये, जिनको मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री बृजमोहन सिंह हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय पीएचईडी सेक्टर-6 प्रतापनगर जयपुर एवं दुसरे ने अपना नाम श्री सूरज कुमार शर्मा हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय पीएचईडी, बीसलपुर परियोजना सूरजपुरा टोडारायसिंह केकडी बताया, जिनसे गोपनीय कार्यवाही में सम्मिलित होने की मौखिक सहमति प्राप्त की गई। समय 12.20 पीएम पर श्री सुभाष चन्द्र कानि0 व परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ उपस्थित आये व कानि0 श्री सुभाष चन्द्र ने बंद किया विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया परिवादी ने संदिग्ध के वताये स्थान सांगानेरी पुलिया के नीचे एक व्यक्ति से वार्ता करने लगा तथा मैं अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए परिवादी से निर्धारित दूरी बनाकर मुकीम हो गया। कुछ समय बाद उक्त व्यक्ति स्कुटी से चला गया व परिवादी मेरे पास आकर विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसे मेरे द्वारा बंद कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने बताया जो व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था वह केशव था, जिसने मेरे से 70,000/-रूपये बलवीर थानेदार को देकर उसको सलटाने व 14000/- रूपये स्वयं के लिए मांगे है, केशव ने बलवीर थानेदार से मेरी जरिये स्वयं के फोन से वार्ता करवाई तो बलवीर थानेदार ने मेरे को गाली गलौच करते हुए थाने पर आने के लिए कहा तो मैंने उसको बारह बजे तक थाने पर उसके सामने उपस्थित होने के लिए कहा है। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछा गया तो परिवादी कानि0 के कथनो को ताईद करते हुए बताया कि केशव द्वारा मेरे से 70,000/-रूपये बलवीर थानेदार के लिए व 14000/- रूपये स्वयं के लिए मांगे है तथा केशव ने अपने फोन से बलवीर थानेदार से मेरी बात करवाई तो उन्होने मेरे से गाली गलौच करते हुए कहा कि मुझे थाने में फोटो आईडी लेकर बुलाया है और मेरे द्वारा पैसो की व्यवस्था करने की कहने पर उन्होने कहा कि तुम तो थाने पर आओ वगैराह वार्ता हुई है। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी व कानि0 के कथनो की ताईद हुई है। चूंकि रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं के अवलोकन से रिश्वत संदिग्ध श्री केशव सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग व लेन-देन के तथ्य स्पष्ट रूप से प्रकट हुये है, अतः उपस्थित परिवादी को रिश्वत के रूप में दी जानी वाली रिश्वत राशि की व्यवस्था करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने 50,000/- रूपयों की व्यवस्था होने के बारे में कहा गया। तुदपरान्त कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ व स्वतंत्र गवाहन श्री सूरज कुमार शर्मा व श्री बृजमोहन सिंह का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वतंत्र गवाहान को पढवाया जाकर प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये गये। समय 2.40 पीएम पर स्वतंत्र गवाहन श्री सुरज कुमार शर्मा व श्री बृजमोहन सिंह के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ को संदिग्धों को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा गया तो परिवादी ने अपने पास से 500-500

रूपये 100 नोट कुल 50,000 रूपये (पचास हजार रूपये, प्रचलित भारतीय मुद्रा) गवाहान के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, उक्त नोटों का विवरण फर्द में अंकित किया गया तथा नियमानुसार फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट तथा सुपूर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर तैयार की गई। ट्रेप कार्यवाही के आयोजन से पूर्व परिवादी के मोबाईल से संदिग्ध केशव के मोबाईल पर वार्ता कर मिलने के स्थान के बारे में पूछवाया गया तो संदिग्ध ने परिवादी को सीबीआई फाटक पर आने के लिए कहा। तदुपरान्त समय 3.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री ब्रह्मप्रकाश हैड कानि0 नं0 99, श्री मनीष हैड कानि0 नं0 31, श्री प्रदीप कुमार कानि0 नं0 245, श्रीमती पिंकी कंवर म0 कानि0 नं0 11, श्री कपिल कानि0 नं0 377 श्री अजय कुमार कानि0 नं0 154 व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सूरज कुमार शर्मा व श्री बृजमोहन सिंह के जरिये सरकारी वाहनो मय चालको मय लेपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, ट्रेप बॉक्स व अन्य आवश्यक सामग्री के रवाना होने से पूर्व श्री सुभाष चन्द्र कानि0 नं0 592 को परिवादी शैलेश कुमार धाकड़ के साथ निजी वाहन से आवश्यक हिदायत देकर रवाना कर उनके पीछे-पीछे वास्ते करने गोपनीय कार्यवाही एसीबी कार्यालय से सीबीआई फाटक की ओर रवाना हुये। ब्यूरो कार्यालय से रवाना होने के उपरान्त श्री सुभाष चन्द्र कानि. 592 ने वक्त 3.40 पीएम पर मन् टीएलओं को अवगत कराया कि परिवादी को करीब 03.39 पीएम पर सीबीआई फाटक से कुछ दूरी पूर्व जगतपुरा पुलिया के नीचे विभागीय डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द कर संदिग्ध श्री केशव सिंह से रिश्वत राशि लेन-देन व वार्ता करने हेतु रवाना कर दिया है तथा सुभाष कानि. स्वयं सीबीआई फाटक की ओर रवाना हो गया है। जिस पर मन् टीएलओ सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान व अन्य ट्रेप टीम के सदस्यों के साथ परिवादी व संदिग्ध केशव सिंह के मिलने के पूर्व निर्धारित स्थान सीबीआई फाटक के पास पहुंच सरकारी वाहनों को सड़क किनारे खड़ा करवाया गया तथा सीबीआई फाटक के सामने इन्दिरा गांधी नगर की ओर जानी वाली सड़क की तरफ स्थित शराब के ठेके व आस-पास अपनी पहचान गोपनीय रखते हुये ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी व संदिग्ध केशव सिंह के आने का इन्तजार करने लगे। कुछ समय पश्चात परिवादी सीबीआई फाटक सर्किल के पास सफेद रंग की स्कूटी के पास खड़े एक व्यक्ति के पास आकर उससे वार्ता करने लगा। संभवतया उक्त व्यक्ति ही केशव सिंह है, वार्ता करने के दौरान ही केशव सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वत के 50,000/- रूपये अपने दांहिने हाथ से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रख लिये। रिश्वत राशि प्राप्त करते ही मन् टीएलओ द्वारा हमराही ट्रेप टीम के साथ तुरन्त सीबीआई फाटक सर्किल के पास खड़े संदिग्ध केशव सिंह को घेरा देकर वहीं खड़ा रहने की हिदायत की गई तथा परिवादी से वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित श्री सुभाष चन्द्र कानि. के पास रखवाया गया। डिटेन किये गये संदिग्ध व्यक्ति को अपना व हमराहीयान को परिचय देकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम केशव सिंह पुत्र छक्की लाल, उम्र 37 साल, निवासी गांव लहार वार्ड नं. 8, बरूनपुरा, लहर, भिण्ड, एमपी हाल मानसागर कॉलोनी सांगानेर जयपुर होना बताया। आरोपी के फोन को कब्जा एसीबी लिया गया। चूंकि उक्त स्थान काफी व्यस्त तथा भीड़-भाड़ वाला है व ट्रेप कार्यवाही की निरन्तरता के परिपेक्ष्य में केशव सिंह की वार्ता संदिग्ध बलवीर सिंह एएसआई से करवाई जानी है अतः संदिग्ध केशव सिंह को उक्त कारणों की वजह से दोनो स्वतन्त्र गवाहान के साथ उक्त स्थान से सरकारी वाहन में बैठाकर खोह-नागोरियान थाना की ओर रवाना हुये तथा श्री केशव सिंह की स्कूटी को हमराह श्री प्रदीप कुमार कानि. 245 को सुपुर्द कर खोह-नागोरियान थाना पर पहुंचने की हिदायत की गई। मन् टीएलओ द्वारा सरकारी वाहन को खोह नागोरियान की ओर जाने वाली सड़क पर ले जाकर सुनसान जगह पर सड़क किनारे नीचे की ओर ले जाकर खड़ी की गई तथा सरकारी वाहन में हमराह श्री मनीष कुमार हैड कानि. 31 को विभागीय कैमरे से आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी करने तथा श्री सुभाष चन्द्र कानि. को वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के निर्देश दिये गये। संदिग्ध श्री बलवीर सिंह एएसआई से संदिग्ध श्री केशव सिंह की 3-4 बार वार्ता करवाई गई जिसमें एएसआई द्वारा परिवादी के संबंध में गाली गलौच वगैरा की गई, उक्त वार्ताओं से संदिग्ध श्री केशव सिंह व श्री बलवीर सिंह एएसआई के मध्य घनिष्ठ संबंध होने की पुष्टी हुई जिस पर संदिग्ध श्री बलवीर सिंह एएसआई को डिटेन करवाने हेतु पूर्व से तैनात की गई ब्यूरो की टीम एसआईडब्यू के श्री सुरेन्द्र पचौली, उप अधीक्षक पुलिस को हिदायत की गई। आरोपी के फोन को कब्जा एसीबी लिया गया जिसको पृथक से निरीक्षण कर जब्त किया जायेगा। समय करीब 5.10 पीएम पर मन् टीएलओ मय अन्य ट्रेप टीम के दोनो स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को हमराह लेकर पुलिस थाना खोह-नागोरियान में पहुंचे, थाना पहुंचने पर श्री सुरेन्द्र पंचौली, उप अधीक्षक पुलिस व उनकी टीम द्वारा डिटेन किये गये संदिग्ध श्री बलवीर सिंह एएसआई को अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् टीएलओ को सुपुर्द किया गया तदुपरान्त इन्चार्ज थाना से थाना परिसर के एक-दो कमरों में ट्रेप कार्यवाही की लिखा-पढ़ी करने की मौखिक सहमती प्राप्त की गई। इसके पश्चात डिटेनशुदा श्री बलवीर सिंह यादव से नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री रामकिशन यादव, उम्र 47 साल निवासी गांव बड़ियाल खुर्द, पुलिस थाना बसवा जिला दौसा होना बातया जिसे थाना परिसर में बने एक पृथक कमरे में निगरानी में बैठाया गया। श्री बलवीर सिंह यादव एएसआई के फोन को कब्जा एसीबी लिया जाकर निरीक्षण किया गया तो उसमें रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आज दिनांक 23.10.2024 को आरोपी श्री केशव सिंह के मोबाईल पर परिवादी शैलेश कुमार धाकड़ व बलवीर सिंह यादव एएसआई के मध्य हुई ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग में सेव वार्ता "बहनचोद जब तुम्हे प्रेम से कह दिया कोई चीज के लिए अब फाईनल मेरे को टाईम बता" हुई जिससे संदिग्ध बलवीर सिंह एएसआई द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने के

परिवादी द्वारा पूर्व में बताये गये तथ्यों की पुष्टी होती है। उक्त मोबाईल फोन का आईन्दा निरीक्षण कर जब्त किया जायेगा। परिवादी से प्राप्त किये गये वाईस रिकॉर्डर को हमराह विभागीय लैपटाप से जोड़कर सुना गया तो उसमें वार्ताएं रिकॉर्ड होनी पाई गई जिनकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। चूंकि संदिग्ध श्री केशव सिंह की हाथ धुलाई की कार्यवाही करवाई जानी है, अतः थाना के एक कमरे में धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिसमें आरोपी श्री केशव सिंह (प्राईवेट व्यक्ति /दलाल) के दोनो हाथों के धोवन लेने के लिए ट्रेप बॉक्स से दो नये नये पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाकर, जग में साफ पानी मंगवाकर ट्रेप बॉक्स में रखे सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी निकालकर उक्त गिलासो में बारी-बारी एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। तैयारशुदा घोल को स्वतंत्र गवाहान व समस्त हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग के रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् उक्त प्लास्टिक गिलास के तैयारशुदा घोल में आरोपी श्री केशव सिंह के दांहिने हाथ की अंगुलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसको हाजरिन व स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो सभी ने घोल के रंग को गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क R-1 व R-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् इसी प्रक्रियानुसार दुसरे तैयार किये गये सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री केशव सिंह के बांये हाथ की अंगूलियां व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला हो गया। जिसे समस्त हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने धोवन के रंग को मटमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस ने संदिग्ध केशव सिंह को परिवादी से प्राप्त किये गये रिश्वत राशि के बारें में पूछा तो उसने उक्त राशि अपनी पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में होना बताया जिनको स्वतन्त्र गवाह श्री सुरज कुमार शर्मा से निकलवाये जाकर गिनवाया गया तो 500-500 रूपयों के 100 नोटो की एक गड्डी कुल राशि 50,000 /- रूपये होना पाये गये। 500-500 रूपयों के 100 नोटो की एक गड्डी के नोटो का मिलान पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो उक्त नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों से हुबहु मिलान होना पाये गये। इसके पश्चात स्वतन्त्र गवाह श्री सूरज कुमार शर्मा से आरोपी केशवसिंह की जामा तलाशी लिवाई गई तो उसकी पहनी पेन्ट की अन्य जेब में उक्त रिश्वत राशि व उसके अलावा 6700/- मिले जिनमें 500 के 13 नोट व 200 का एक नोट मिला। इनके अलावा आगे की दाहिनी जेब में 10-10 के 03 नोट कुल राशि 30/- रूपये मिले। मिले अन्य रूपयों को स्वतन्त्र गवाह श्री सुरज कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाये गये। तदुपरान्त संदिग्ध श्री केशव सिंह के पहनी हुई पेन्ट की पिछे की दांयी जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद की गई थी, का धोवन लेने हेतु एक अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर पहना कर पहनी हुई पूर्व में पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर उसकी जेब का धौवन लेने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। पेन्ट की जेब को उलट कर एक पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर जेब का धोवन लिया गया तो पानी का रंग गुलाबी हो गया जिसे दो कांच की साफ शिशियो में आधा-आधा डालकर शील्ड मोहर कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेन्ट को सुखाकर जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपडे की थैली में शील्ड मोहर कर पैकेट पर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। स्वतन्त्र गवाह श्री सुरज कुमार शर्मा के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वती राशि 50,000/- रूपयों को एक साईड से सफेद कागज के साथ सिलकर शील्ड मोहर कर मार्क "M" अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सूबत कब्जा ए0सी0बी0 लिए गए। तदुपरान्त आरोपी श्री बलवीर सिंह एएसआई से दिनांक 21.10.2024 को परिवादी शैलेश कुमार धाकड़ व उसके भाई से उनके खिलाफ दर्ज मुकदमा में उनको फ्री करने की एवज में एक लाख रूपये रिश्व के मांगने व आज उक्त मांग की अनुसरण में दलाल केशव सिंह द्वारा 50,000/- रूपये परिवादी से प्राप्त करने के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैने परिवादी से कभी भी रिश्वत की मांग नही की है तथा केशव सिंह द्वारा लिये गये 50,000/- रूपये थाना पर दर्ज प्रकरण सं. 745/2024 में आपसी राजीनामा के है, मैने मेरे लिए शैलेश से रिश्वत की मांग नही की है व ना ही आज इससे मैने रिश्वत राशि ली है जिस पर उपस्थित परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ ने बताया कि दिनांक 21.10.2024 को बलवीर जी थानेदार जी की मौजूदगी में केशव सिंह ने मुझे व मेरे भाई सोनू धाकड़ से एक लाख रूपये रिश्वत के रूप में मांगे थे जिस पर मैने 16000/- रूपये उसी समय हरिओम पुत्र रामनिवास के नम्बर पर फोन पे करवाया था जो रामनिवास ने अपने एटीएम से नगद निकाल कर बलवीर सिंह एएसआई को दिये थे और बलवीर सिंह एएसआई ने रिश्वत राशि के शेष बचे हुये 84 हजार रूपयों की व्यवस्था करके लाने हेतु मुझे छोड़ दिया व मेरे भाई सोनू को थाने में ही बैठा लिया। उक्त के संबंध में श्री बलवीर सिंह एएसआई से पूछा गया तो उसने बताया कि सोनू धाकड़ को कल ही थाना में लेकर आये थे तथा मैने जबरदस्ती सोनू को थाना में नही बैठाया था जिस पर सोनू से पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे 21.10.2024 को 1-2 बजे से थाना पर बैठाये रखे होने की बात बताई। इसी क्रम में थाना पर उपस्थित परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ के जीजा श्री लाखन सिंह ने बताया कि आज दिन में रामनिवास ने मेरे से फोन-पे पर अपने जानकार श्री रणजीत सिंह पुत्र शिवचरण के फोन-पे खाता में 15 हजार रूपये डलवाये जो बाद में रामनिवास के कैनरा बैंक के खाते में ट्रान्सफर किये गये तथा शैलेश के पिता दीनबन्धु ने अपने गांव में स्वयं के जानकार से 30 हजार रूपये (एक बार 10 व एक बार 20 हजार रूपये) फोन-पे/खाते में हरिओम के खाते में डलवाये

थे। उक्त के संबंध में उपस्थित श्री रामनिवास से पूछा गया तो उसने उक्त कथनो की ताईद की तथा रामनिवास के मोबाईल/खाता नम्बर का अवलोकन किया तो दिनांक 21.10.2024 को 16000/-, 23.10.2024 को एक बार 15000/- रूपये व एक बार 30,000/- रूपये खाता में आना प्रकट हुये तथा दिनांक 23.10.2024 को ही 10-10 हजार रूपये तीन बार एटीएम से निकलवाने पाये गये। रामनिवास से उक्त 10-10 हजार कुल 30 हजार रूपयों के बारे में पूछा तो उक्त रूपये किसको दिये, उक्त व्यक्ति के बारे में जानकारी नही होना बताया व कुछ समय पश्चात उक्त रूपये दीनबन्धु को देना बताया। इस प्रकार उक्त 30,000/- रूपये प्रकरण 745/2024 के परिवादी श्री रामनिवास द्वारा अपने एटीएम से निकलवाकर श्री बलवीर सिंह एएसआई को देने के तथ्य बखूबी प्रकट होते है। तदुपरान्त आरोपी श्री केशव सिंह से बरामदशुदा रिश्वत राशि 50,000/-रूपयों के बारे में व आज दिन में रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान एएसआई बलवीर सिंह एएसआई के लिए मांगे गये 70,000/- रूपये व स्वयं के 14,000/- रूपयों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैने बलवीर सिंह जी एएसआई के लिए रिश्वत के रूपयों की कोई मांग नही की है तथा ना ही 50 हजार रूपये स्वयं के लिए शैलू धाकड़ ़ से प्राप्त किये है, उक्त रूपये इनके आपस में राजीनामा होने पर रामनिवास को देने के लिए शैलू धाकड़ ़ (शैलेश कुमार धाकड़ ़) से प्राप्त किये है। जिस पर उपस्थित श्री शैलेश कुमार धाकड़ ़ ने केशव सिंह को बीच में टोकते हुये बताया कि केशव जी झूठ बोल रहे है, इन्होने दिनांक 21.10.2024 को मेरे से बलवीर जी थानेदार जी के सामने एक लाख रूपये मांगे थे जिनमें से मैने 16000/- रूपये उसी समय फोन-पे कर दिये थे तथा केशव जी के कहने पर बलवीर जी थानेदार ने मेरे भाई को थाने में ही बैठाकर, शेष 84,000/- रूपये की व्यवस्था करने के लिए मुझे छोड़ दिया था। मेरे से आज भी दिन में सांगानेर पुलिया के नीचे केशव जी ने 70 हजार रूपयें थानेदार जी को देने व 14 हजार रूपये स्वयं के लिए मांग की थी। इसी क्रम में आज मेरे से केशव जी ने 50,000/- रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किये है। जिसके बारे में केशव सिंह से पूछा गया तो उसने कोई जबाव नही दिया जिससे उक्त राशि श्री बलवीर सिंह एएसआई के लिए ही लेने के तथ्य प्रकट होते है क्यों कि प्रकरण सं. 745/2024 के परिवादी श्री रामनिवास को आज रिश्वत राशि लेन-देन से पूर्व ही 15000/ रूपये व 30,000/- रूपये खाते में डलवाये जा चुके थे, अतः आरोपी श्री केशव सिंह द्वारा परिवादी शैलेश कुमार धाकड़ ़ से आज लिये गये 50,000/- रूपये रिश्वत के होकर श्री बलवीर सिंह एएसआई के लिए लेने के तथ्य प्रकट होते है। तदुपरान्त आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव, एएसआई के निवास सरकारी क्वाटर की नियमानुसार एएसआई को हमराह लेकर खाना तलाशी ली गई तो कमरे के अन्दर रखे लोहे के बक्से में 500-500 रूपये की तीन गड्डीयां, कुल राशि 1,50,000/- रूपये मिले तथा 5-5 लाख की तीन एफडीआर व एक एसबीआई बैंक की पास बुक खाता धारक श्री बलवीर सिंह यादव की मिली, राशि 1,50,000/- रूपयों के संबंध में उपस्थित श्री बलवीर सिंह यादव एएसआई को पूछा गया तो अपने किसी जानकार व मिलने वाले से लेना बताया जो सन्तोषप्रद जबाव नही होने पर उक्त राशि 1.5 लाख रूपये व तीनों एफडीआर व पास बुक को कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अलावा कमरे की दीवार में बनी रैक में रखे कपडों के बीच में अलग अलग एकत्रित किये गये 500 के 5 नोट, 500 के 20 नोट, 500 के 19 नोट एवं 100 रूपये के 100 नोट मिले जिनके बारें में उपस्थित श्री बलवीर सिंह से पूछा गया तो उसने उक्त रूपयों स्वयं के होने बताये, इस प्रकार एएसआई द्वारा उक्त रूपयों के बारे में दिया गया जबाव सन्तोषप्रद नही होने से उक्त राशि को कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री रामकिशन यादव, उम्र-47 साल, निवासी-गांव-बडियाल खुर्द, पुलिस थाना-बसवा, तहसील-बसवा, जिला-दौसा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर पूर्व द्वारा परिवादी व उसके भाई के विरूद्ध पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर में दर्ज प्रकरण सं. 745/2024 में दोनों को निकालने की एवज में दिनांक 21.10.2024 को पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर में स्वयं की मौजूदगी में विश्वस्त दलाल केशव सिंह के मार्फत श्री शैलेश कुमार धाकड़ व उसके भाई सोनू धाकड़ ़ से एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग कर मौके पर दबाव डालकर 16000/रूपये जरिये फोन-पे रामनिवास शर्मा के पुत्र हरिओम के खाते में डलवा लिये जो उसी समय एटीएम से निकालकर केशव सिंह के मार्फत थानेदार श्री बलवीर सिंह यादव ने प्राप्त कर लिये तथा बाकी 84000/रूपये की व्यवस्था करने के लिये श्री शैलेश कुमार धाकड़ को थाने से फ्री करना, उसके भाई सोनू धाकड़ को थाने में ही बिठाना एवं रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दलाल केशव सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि के 84000/रूपये मांग कर उक्त रिश्वत राशि में से स्वयं के लिये 14000/रूपये व 70000/रूपये श्री बलवीर सिंह यादव थानेदार के लिए मांग करना तथा दलाल केशव सिंह द्वारा बलवीर सिंह यादव को जरिये फोन कर रिश्वत राशि के बारे में अवगत कराने के तथ्यों की पुष्टि होने पर आज दिनांक 23.10.2024 को दौराने रिश्वत राशि लेन-देन में परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ ़ (शैलू धाकड़) से श्री बलवीर सिंह यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस के लिये दलाल श्री केशव सिंह द्वारा 50000/रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना पाया गया, जो आरोपी केशव सिंह के पहनी हुई पेंट के पीछे की दांयी जैब से बरामद की गई। आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव द्वारा परिवादी से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी को उसके प्रकरण में हुये राजीनामे के वास्तविक तथ्यो से अवगत नहीं कराते हुये अपने विश्वस्त दलाल श्री केशव सिंह से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जरिये दूरभाष वार्ता कर परिवादी को विश्वस्त दलाल श्री केशव सिंह को रिश्वती राशि देने के लिये प्रभावित करना व परिवादी के भाई सोनू धाकड़ को विश्वस्त दलाल श्री केशव सिंह को रिश्वती राशि प्राप्त होने तक थाने में बिठाये रखकर रिश्वती राशि प्राप्त करना जुर्म धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री केशव सिंह पुत्र छक्की लाल, उम्र 37 साल, निवासी गांव लहार वार्ड नं. 8, बरूनपुरा, लहर, भिण्ड, एमपी हाल मानसागर कॉलोनी सांगानेर जयपुर द्वारा दिनांक 21.10.2024 को परिवादी शैलेश कुमार धाकड़ व उसके भाई सोनू धाकड़ से उनके खिलाफ पुलिस थाना खोह-नागौरियान में दर्ज मुकदमा नं. 745/2024 में उनको फ्री करवाने की एवज में आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव सहायक उप निरीक्षक का विश्वस्त दलाल होकर उसके साथ मिलीभगत कर उक्त अनुसंधानाधीन प्रकरण में उसके कहेनुसार उसकी मौजूदगी में परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ से दिनांक 21.10.2024 को एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग कर परिवादी पर दबाव बनाकर 16000/रूपये श्री रामनिवास शर्मा के पुत्र हरिओम के खाते में ट्रांसफर करवाना व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव सहायक उप निरीक्षक के लिये 84000/रूपये रिश्वती राशि की मांग कर उक्त राशि में से स्वयं के लिये 14000/रूपये व आरोपी बलवीर सिंह यादव को देने के लिये 70000/रूपये रिश्वती राशि की मांग कर श्री बलवीर सिंह यादव को जरिये फोन सूचित करने पर आज दिनांक 23.10.2024 को दौराने रिश्वत राशि लेन-देन में परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ (शैलू धाकड़) से श्री बलवीर सिंह यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस के लिये 50000/रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना पाया गया, जो आरोपी केशव सिंह के पहनी हुई पेंट के पीछे की दांयी जैब से बरामद की गई। आरोपी श्री केशव सिंह का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रमाणित पाया गया। ट्रेप कार्यवाही से संबंधित प्रकरण सं. 745/2024 पुलिस थाना खोह-नागौरियान, आयुक्तालय जयपुर पूर्व की प्रमाणित प्रति पृष्ठ सं. 01 से 25 तक का अवलोकन कर प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव, एएसआई को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 23.10.2024 को स्वयं के व आरोपी केशव सिंह के मध्य हुई टेलिफोनिक वार्ता की रिकॉर्डिंग जो आरोपी के मोबाईल के ऑटो-कॉल रिकॉर्डर में मौजूद है बाबत आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव, एएसआई ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। तदुपरान्त आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री रामकिशन यादव, उम्र-47 साल, निवासी-गांव-बडियाल खुर्द, पुलिस थाना-बसवा, तहसील-बसवा, जिला-दौसा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर पूर्व के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया गया। इसी प्रकार आरोपी श्री केशव सिंह को विभागीय वॉयस रिकॉर्डर में दिनांक 22.10.2024 व 23.10.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड आवाज एवं ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 23.10.2024 को रिकॉर्ड हुई स्वयं की आवाज के संबंध में अपनी आवाज के नमूना का एफएसएल, जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु पृथक से नोटिस दिया गया जिस पर आरोपी श्री केशव सिंह ने अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में इन्कार किया। तदुपरान्त आरोपी श्री केशव सिंह पुत्र छक्कीलाल, उम्र-37 साल, निवासी-गांव-लहार, वार्ड नं0-8, बरूनपुरा, लहर भिण्ड, मध्यप्रदेश हाल मानसागर कॉलोनी सांगानेर जयपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत प्रमाणित पाया जाने पर नियमानुसार पृथक से जरिये फर्द गिरफतार किया गया। प्रकरण में आरोपी श्री केशव सिंह व बलवीर सिंह यादव, एएसआई द्वारा परिवादी व उसके जीजा श्री लखन सिंह तथा उनके अन्य जानकारों से जरिये फोन पे/बैंक खाता में प्राप्त किये गये संदिग्ध राशि के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी श्री केशव सिंह के स्कूटी एक्टीवा 3जी नं. आरजे 14 एचजे 1598, रंग सफेद की खाना तलाशी में कार्यालय थानाधिकारी, खोह-नागौरियान जिला जयपुर पूर्व के मूल पत्र दिनांक 18.10.2024 को जारी प्रकरण सं. 745/2024 दिनांक 16.10.2024 अभियुक्त/नेटिस प्राप्त कर्ता का नाम श्री रामनिवास पुत्र श्री मिरोतीलाल के नाम से दिनांक 20.10.2024 को थाना में उपस्थित होने बाबत जारी किया हुआ है जिस पर प्राप्तकर्ता के स्थान पर श्री रामनिवास के हस्ताक्षर है। उक्त नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण के आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव एएसआई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं मु.नं. 745/2024 का अनुसंधान अधिकारी हूं उक्त मुकदमे के अनुसंधान के दौरान दिनांक 21.10.2024 को थाना की एआर गाड़ी के जाप्ता को भेजकर श्यानू कुमार उर्फ सोनू धाकड़ को थाना पर बुलाया था, इसके बाद में प्रकरण के परिवादी रामनिवास व इनके मध्य राजीनामा की बात चल रही थी जिस कारण मैने सोनू धाकड़ को थाना पर ही निगरानी में बैठाये रखा था, आज इनका राजीनामा होने पर इसके व इसके भाई शैलू की आईडी मंगवाई, मैं राजीनामा की कार्यवाही कर उक्त सोनू धाकड़ को छोड़ ही रहा था इतने में आप आ गये, वगैरा-विस्तृत पूछताछ रिपोर्ट पृथक से तैयार की गई। इसी प्रकार आरोपी श्री केशव सिंह ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं रामनिवास को पिछले 4-5 सालो से जानता हूं। रामनिवास व शैलू धाकक के बिच मकान के कागजों के संबंध में झगड़ा हुआ था जिसके संबंध में रामनिवास ने खोह-नागौरियान थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। दिनांक 21.10.2024 को इनके मध्य राजनामा की बात चल रही थी जिस पर बलवीर थानादार जी शैलू के भाई व उसको थाना की गाडी से बुलवाकर बैठा लिया था तथा बाद में शैलू को छोड़ दिया था व सोनू धाकड़ को थाना में ही बैठाये रखा था। वगैरा विस्तृत पूछताछ रिपोर्ट पृथक से तैयार की गई। श्री रामनिवास से की गई पूछताछ में बताया कि दिनांक 14.10.2024 को

मै अपने गांव से जयपुर आया था तब शाम को करीब 6 बजे दीनबन्धू के लड़के सोनू ने मुझे अपने गांव लुनियावास बस स्टेण्ड बुलाकर मेरे साथ मारपीट कर मेरी मोटरसाईकिल, मोबाईल व 50 हजार रूपये अपने पास रख लिये थे, इस बाबत मैने थाना खोह-नागौरियान में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। दिनांक 21.10.2024 को शैलू ने 16000/- रूपये मुझे फोन-पे किये थे जो मैने उसी दिन एटीएम से निकाल कर दीनबन्धू को दिये थे। दिनांक 23.10.2024 को मेरे खाते में दीनबन्धु ने 30,000/- रूपये, शैलू के जीजा 15000/- रू. डलवाये थे जिनको निकालकर मैने वापस दीनबन्धू को दे दिये थे, वगैरा-विस्तृत पूछताछ रिपोर्ट पृथक से तैयार की गई। इसी प्रकार प्रकरण सं. 745/2024 पुलिस थाना खोह-नागौरियान के आरोपी श्री श्यानू कुमार उर्फ सोनू धाकड़ जो थाना पहरा निगरानी में एचएम कार्यालय में मौजूद है जिससे नियमानुसार पूछताछ की तो उसने बताया कि मुझे दिनांक 21.10.2024 को रास्ते से उठाकर थाना में लाये तब से मुझे थाना पर ही बैठा रखा है। मुझे बलवीर जी थानेदार ने कहा कि 40-50 हजार रूपये मंगवा ले तेरा काम हो जायेगा तब मैने केशव गुर्जर जो हमारा बाबा है उनसे मैने रामनिवास के मोबाईल से बात कर रामनिवास के मोबाइल पर 30,000/- रूपये डलवाये थे। इसके पश्चात करीब 01 बजे रामनिवास एटीएम से रूपये निकालकर लाया और उनमें से 28,000/- रूपये बलवीर जी थानेदार को मेरे सामने दिये थे जिनको थानेदार जी ने अपनी टेबल की दराज में रख दिये, वगैरा विस्तृत पूछताछ कर पृथक से पूछताछ रिपोर्ट तैयार की गई। तदुपरान्त आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव के अनुसंधान कक्ष में स्थित कार्यालय टेबल की तलाशी ली गई तो टेबल के ऊपर श्री बलवीर सिंह यादव के नाम अनुसंधानाधीन पत्रावलीयां मिली तथा पत्रावलीयों के नीचे एक गुछे में दो चाबियां मिली जिसके बारे में श्री बलवीर सिंह ने टेबल की दराज की चाबीयां होना बताया। उक्त चाबी से टेबल की दांई साईड की उपर की दराज खोलकर चैक किया गया तो उसमें एक आसमानी रंग के गिफ्टेड लिफाफा में 500 रू. के 78 नोट, 200 रू. के 5 नोट, कुल राशि 40000/- रूपये, श्री बलवीर सिंह यादव का एक पेनकार्ड नं. एबीसीपीवाई 6725बी व एक चैक बुक खाता सं. 51073571902 एसबीआई बैंक कानौता, जयपुर, अन्य चाबी से नीचे की दराज खोली तो उसमें 500 रू. के 100 नोट, राशि 50,000/- रूपये एवं 500 रू. के 56 नोट, राशि 28000/- रूपये मिले। इस प्रकार कुल राशि 1,18,000/- रूपये संदिग्ध अवस्था में पाई गई जिसमें संबंध में उपस्थित श्री बलवीर सिंह यादव से पूछा गया तो उक्त रूपये स्वयं के खर्चे के लिए होना बताये, एएसआई का उक्त जबाव सन्तोषप्रद नही होने पर उक्त राशि को संदिग्ध मानते हुये व पेन कार्ड को अनुसंधान के प्रयोजनार्थ कब्जा एसीबी लिया गया। विभागीय वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड मांग सत्यापन वार्ताओं व रिश्वत लेन-देन के दौरान हुई वार्ताओं की नियमानुसार फर्द वार्तारूपान्तरण व सीडीयां तैयार की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही, रिश्वत मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता, पूछताछ आरोपीगण तथा अन्य परिस्थितजन्य साक्ष्यों से पाया गया है कि आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव, एएसआई द्वारा परिवादी शैलेश कुमार धाकड़ व उसके भाई श्यानू कुमार उर्फ सोनू धाकड़ के विरूद्ध पुलिस थाना खोह-नागोरियान जयपुर में दर्ज प्रकरण सं. 745/2024 में दोनों को निकालने की एवज में दिनांक 21.10.2024 को पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर में स्वयं की मौजूदगी में अपने विश्वस्त दलाल केशव सिंह से मिलीभगत कर श्री केशव सिंह के मार्फत श्री शैलेश कुमार धाकड़ व उसके भाई सोनू धाकड़ से एक लाख रूपये रिश्वती राशि की मांग कर मौके पर दबाव डालकर 16000/रूपये जरिये फोन-पे रामनिवास शर्मा के पुत्र हरिओम के खाते में डलवाने, उक्त राशि रामनिवास द्वारा एटीएम से निकालकर केशव सिंह के मार्फत थानेदार श्री बलवीर सिंह यादव को देने, शेष 84000/रूपये की व्यवस्था करने के लिये श्री शैलेश कुमार धाकड़ को थाने से फ्री करने व उसके भाई सोनू धाकड़ को थाने में ही बिठाये रखने एवं दिनांक 23.10.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान दलाल केशव सिंह द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि के 84000/रूपये मांग कर उक्त रिश्वत राशि में से स्वयं के लिये 14000/रूपये व 70000/रूपये श्री बलवीर सिंह यादव थानेदार के लिए मांग करना तथा दलाल केशव सिंह द्वारा बलवीर सिंह यादव को जरिये फोन कर रिश्वत राशि के बारे में अवगत कराने के तथ्यों की पुष्टि होने पर आज दिनांक 23.10.2024 को दौराने रिश्वत राशि लेन-देन में परिवादी श्री शैलेश कुमार धाकड़ (शैलू धाकड़) से श्री बलवीर सिंह यादव सहायक उप निरीक्षक पुलिस के लिये दलाल श्री केशव सिंह द्वारा 50000/रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करना पाया गया, जो आरोपी केशव सिंह के पहनी हुई पेंट के पीछे की दांयी जैब से बरामद की गई। इस प्रकार आरोपी श्री बलवीर सिंह यादव द्वारा परिवादी से वैध पारिश्रमिक से भिन्न अवैध पारितोषण प्राप्त करने के आशय से परिवादी को उसके प्रकरण में हुये राजीनामे के वास्तविक तथ्यो से अवगत नहीं कराते हुये अपने विश्वस्त दलाल श्री केशव सिंह से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान जरिये दूरभाष वार्ता कर परिवादी को विश्वस्त दलाल श्री केशव सिंह को रिश्वती राशि देने के लिये प्रभावित करना व परिवादी के भाई सोनू धाकड़ को विश्वस्त दलाल श्री केशव सिंह को रिश्वती राशि प्राप्त होने तक थाने में बिठाये रखकर रिश्वती राशि प्राप्त करना पाया गया है, इस प्रकार आरोपीगण श्री बलवीर सिंह यादव एएसआई व केशव सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61 बीएनएस-2023 के तहत कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपीगण (1) श्री बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री रामकिशन यादव, उम्र-47 साल, निवासी-गांव-बडियाल खुर्द, पुलिस थाना-बसवा, तहसील-बसवा, जिला-दौसा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर पूर्व एवं (2) श्री केशव सिंह पुत्र छक्कीलाल, उम्र-37 साल, निवासी-गांव-लहार, वार्ड नं0-8, बरूनपुरा, लहर भिण्ड, मध्यप्रदेश हाल मानसागर कॉलोनी सांगानेर जयपुर के विरूद्ध अर्न्तगत धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस-2023 में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट ड्राफ्ट कर वास्ते क्रमांकन अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (सुरेश कुमार स्वामी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर.........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7क, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 61 बीएनएस-2023 में आरोपीगण (1) श्री बलवीर सिंह यादव पुत्र श्री रामकिशन यादव, उम्र-47 साल, निवासी-गांव-बडियाल खुर्द, पुलिस थाना-बसवा, तहसील-बसवा, जिला-दौसा हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना खोह नागोरियान जयपुर पूर्व एवं (2) श्री केशव सिंह पुत्र छक्कीलाल, उम्र-37 साल, निवासी-गांव-लहार, वार्ड नं0-8, बरूनपुरा, लहर भिण्ड, मध्यप्रदेश हाल मानसागर कॉलोनी सांगानेर जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मूलचन्द मीणा,पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर-चतुर्थ, जयपुर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 888 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1284-87 दिनांक 25-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1, जयपुर । 2-पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर । 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-तृतीय, जयपुर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MOOL CHAND MEENA **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2024 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	06/06/1977				
2	Male	1987				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (श्वेत रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)